

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

(१) निगरानी प्रकरण क्रमांक 1085-दो / 2015 विरुद्ध आदेश दिनांक 27-4-2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 340 / अपील / 2004-05.

1. मथुरा सिंह
2. लालमणि सिंह
3. जयराम सिंह
4. अभिराम सिंह सभी के पिता स्व0 श्री हरदाससिंह सभी निवासी ग्राम पटरहाई तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना म0प्र0

आवेदकगण

विरुद्ध

द्वारिका सिंह तनय स्व0 श्री हरदाससिंह निवासी ग्राम पटरहाई तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना म0प्र0

अनावेदक

श्री आर0एस0सेंगर, अभिभाषक आवेदकगण
श्री योगेन्द्र भदौरिया, अभिभाषक, अनावेदक

.....
:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/01/2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-4-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारिकासिंह द्वारा नायब तहसीलदार प्रभारी वृत्त सज्जनपुर तहसील रामपुर बाघेलान के प्रकरण क्रमांक 6152 / अ-27 / 94-95 में पारित आदेश दिनांक 23-9-94 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लगभग 5 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने अपील में अंतिम आदेश दिनांक 23-9-94 को पारित

(१)

कर अपील को स्वीकार तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील पेश की। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 27-4-15 के द्वारा आवेदकगण की अपील बलहीन होने से निरस्त की। अपर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदकगण एवं अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अनावेदक ने बटवारा में सहमति दी। उसी आधार पर नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 23-9-94 को बटवारा आदेश पारित किया। बटवारे के पश्चात आवेदकगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर ट्यूबबेल व मकान आदि का निर्माण कराया। अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 23-9-94 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लगभग 7 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की। परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने समयबाधित अपील को स्वीकार कर बटवारा आदेश निरस्त करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क किया कि आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समक्ष विलंब के समक्ष तर्क एवं आपत्ति प्रस्तुत की थी परन्तु दोनों ही न्यायालय द्वारा 5 वर्ष के विलंब के संबंध में कोई विचार न कर आदेश पारित करने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा कि अनावेदक ने आवेदकगण के अलावा अन्य सहखातेदारों को जो कि प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार थे तथा जिनके द्वारा बटवारा पुल्ली पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये गये थे उन्हें बिना पक्षकार बनाये अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जो प्रचलन योग्य नहीं थी। अन्य सहखातेदारों को भी पक्षकार बनाया जाना एवं सूचना दिया जाना आवश्यक था। फिर भी अनुविभागीय अधिकारी ने सहमति के पश्चात बटवारा आदेश को निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की है तथा अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के अनियमित आदेश को स्थिर रखने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जायें।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि खसरा क. 341/3 पैत्रिक अथवा संयुक्त स्वत्व व संयुक्त अधिपत्य की भूमि नहीं थी जिससे आवेदकगण का कोई स्वत्व व आधिपत्य नहीं था तथा उक्त भूमि केसह भूमिस्वामी भी आवेदकगण नहीं थे। धारा 178 के अतंगर्तत केवल सहखाते की भूमियों का अथवा पैत्रिक भूमियों का विभाजन हो सकता है लेकिन अनावेदक की सहमति के बिना एवं फर्जी हस्ताक्षर बनाकर बटवारा नामांतरण आदेश करा लिया। उक्त आदेश की जानकारी होने पर अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जिसे समय-सीमा में मानकर अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश पारित किया जिसमें कोई त्रुटि नहीं है तथा अपर आयुक्त द्वारा भी उक्त आदेश को उचित माना है। यह भी तर्क किया कि विचारण न्यायालय ने अनावेदक के हितबद्ध पक्षकार होने पर भी उसे किसी प्रकार का सम्मन जारी नहीं किया और न ही इस्तहार का प्रकाश नहीं किया। नायब तहसीलदार ने विधि की प्रक्रिया के विरुद्ध बटवारा आदेश पारित किया था जिसे दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा गलत मानकर निरस्त किया है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 23-9-94 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 6-4-99 को अर्थात लगभग 5 वर्ष के विलंब से अपील प्रस्तुत की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख की आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 16-4-99 को अनुविभागीय अधिकारी ने रेस्पोडेण्ट को तलब करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख को बुलाने के आदेश दिये तथा प्रकरण समयावधि के बिन्दु पर तर्क हेतु नियत किया था और पेशी दिनांक 26-4-99 नियत की। दिनांक 26-4-99 को समयावधि के बिन्दु पर अपीलांट (इस प्रकरण में अनावेदक) अभिभाषक के तर्क सुनने के पश्चात प्रकरण समयावधि के बिन्दु पर आदेश हेतु दिनांक 23-5-99 को नियत किया गया, किन्तु दिनांक



23-5-99 को किसी प्रकार का कोई आदेश पारित न कर दिनांक 24-5-99 साधार पेशी बढ़ा दी गई। इसके पश्चात अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश दिनांक 13-7-05 होने तक समयावधि के बिन्दु पर किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया। लगभग 5 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत अपील पर समयावधि के बिन्दु पर तर्क सुनने के पश्चात म्याद के बिन्दु पर किसी प्रकार का निर्णय न लेकर लगभग 6 वर्ष पश्चात सीधे अंतिम आदेश पारित किया गया है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपनाई गई उक्त कार्यवाही शंका प्रकट करती है तथा उक्त कार्यवाही विधिक एवं न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार उचित नहीं कही जा सकता। म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 47(क) में प्रावधानित है कि किसी आदेश की तारीख से जिसके कि सम्बन्ध में आपत्ति की जाये, तीस दिन का अवसान हो जाने के पश्चात उपर्युक्त अधिकारी या कलेक्टर को या बन्दोबस्त अधिकारी या बन्दोबस्त आयुक्त को कोई अपील नहीं होगी। स्पष्ट है कि संहिता में अपील करने की समय-सीमा 30 दिवस निर्धारित की गई है और जब समयबाधित अपील प्रस्तुत की जाती है तो सर्वप्रथम समय-सीमा पर विचार कर सकारण आदेश पारित किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत से आवश्यक है। अनुविभागीय अधिकारी को विलंब पर तर्क सुनने के पश्चात समय-सीमा में आदेश पारित करने के उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही करनी चाहिए थी। अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधिअनुकूल नहीं कहा जा सकता तथा अनुविभागीय अधिकारी के विधि विपरीत आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिकता की गई है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान का आदेश दिनांक 13-7-05 एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग का आदेश दिनांक 27-4-15 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्ष को समयावधि के बिन्दु पर सुनवाई का अवसर देने के उपरांत आदेश पारित करें।



(एस०एस० अली)

सदस्य

राजस्व मण्डल, म०प्र०, ग्वालियर